मु .नं. 29/2024 श्रवण बनाम मंगलाराम वगैरह

04.11.024	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी पक्ष उप.। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की रजि.एडी. डिलवरी रिपोर्ट पेश की जो संलग्न पत्रावली की गई अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगाई सूचना बावजूद अनुपस्थित इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा जम्भेश्वरपुरा पटवार हल्का बिछवाड़ी तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 937 व 942 रकबा 11.64 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त आराजी का अभी तक भू–विभाजन होना शेष है जिसके कण–कण में प्रार्थी का हक हिस्सा मौजूद है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने के आशय व अपने हिस्से में मिलाने के आशय से माठे तौड़कर समतल कर विषय वस्तु में भारी रदोबदल कर अजनबी व्यक्ति को संयुक्त खातेदारी भूमि का बैचान, रहन, हस्तान्तरण करने हेतु तुले हुए है। जिससे अप्रार्थीगण मूल वाद ताफैसला तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमावे।
	हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा जम्भेश्वरपुरा पटवार हल्का बिछवाड़ी तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 937 व 942 रकबा 11.64 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।
	Signature Not Verified Digitally signed by Pramod Kumar Date: 2024.11.12 17:28:56 IST Reason: SelfAttested (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)